संख्याः– 250 /XXVII(1)/2009

प्रेषक,

डॉ0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 30 :मार्च,2009

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में गैर निर्वाचित निकायों के लिए अनुदान धनराशि का आवंटन। (चतुर्थ किश्त)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–220/XXVII(1)2009 दिनांक 23 मार्च,2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा आवंटित धनराशि में गैर निर्वाचित निकाय गंगोत्री को रू0 15066.00 (रू0 पन्द्रह हजार छियासठ मात्र) के स्थान पर रू0 19011.00 (रू0 उन्नीस हजार ग्यराह मात्र), बद्रीनाथ को रू0 19011.0 (रू0 उन्नीस हजार ग्यराह मात्र), के स्थान पर रू0 26367.00 (रू0 छब्बीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) तथा केदारनाथ को रू0 26367.00 (रू0 छब्बीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) के स्थान पर रू0 15066.00 (रू0 पन्द्रह हजार छियासठ मात्र) का आवंटन पढ़ा जाये। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त.

संख्याः–250:(1)/XXVII(1)/2009 एवं तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली,रूद्रप्रयाग।
8–विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

D:\SFC GO 2008-09\ULBs 2008-09\additional GO\Nagar palika doc